इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 जनवरी 2017—पौष 16, शक 1938

आयुष विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2017

क्र. एफ-1-2-2016-1-उनसठ.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 30 मार्च 2016 में अधिसूचित ''मध्यप्रदेश प्री आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग (मध्यप्रदेश पाहुन्ट) स्नातक प्रवेश परीक्षा नियम-2016'' के उपनियम-14 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए उक्त नियमों में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, अर्थात्:—

(1) नियम-4 में निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाता है:—

''प्रदेश के शासकीय/निजी आयुष महाविद्यालयों में म. प्र. ऑनलाईन काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश होने के उपरांत शेष रिक्त सीटों पर राज्य शासन द्वारा केन्द्रीयकृत ऑफलाईन काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश किए जा सकेंगे''.

(2) उक्त नियमों में जहां ऑनलाईन काउंसिलिंग उल्लिखित है, वहां ऑनलाईन काउंसिलिंग के साथ ''राज्य शासन की केन्द्रीयकृत ऑफलाईन काउंसिलिंग'' को जोड़ा जाता है.

इसका विस्तृत कार्यक्रम विभागीय वेबसाइट एवं समाचार-पत्रों में पृथक् से प्रकाशित किया जावेगा.

No. F -1-2-2016-1-LIX-.—In exercise of the powers conferred by rule 14 of Madhya Pradesh Pre Ayurved, Homoeopathy, Unani, Naturopathy and Yoga Test (MP PAHUNT) Undergraduate Entrance Examination Rules 2016 Notified in Madhya Pradesh Gazette, dated 30th March 2016, the State Govt. hereby makes following amendments in the said rules, namely:—

1. Following provisio is substituted in rule 4:—

"The seats remaining vacant in Government/Private AYUSH Colleges of the State after filling through MP online counselling may be filled up by the Centralised Offline Counselling conducted by the State Government.

2. In the said rules, wherever "online counselling" is mentioned, "centralised offline counselling by the State Govcernment" is added.

The detailed program will be uploaded in departmental website and publised in news papers.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिखा दुबे, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2017

क्र. एफ-1-3-2016-1-उनसठ.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 30 मार्च 2016 में अधिसूचित "मध्यप्रदेश आयुर्वेद, चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा नियम-2016" के नियम-21 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए उक्त नियमों में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, अर्थात्:—

(1) नियम-7 में निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाता है:—

"प्रदेश के शासकीय/निजी आयुर्वेद महाविद्यालयों में म. प्र. ऑनलाईन काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश होने के उपरांत शेष रिक्त सीटों पर राज्य शासन द्वारा केन्द्रीयकृत ऑफलाईन काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश किए जा सकेंगे".

(2) उक्त नियमों में जहां ऑनलाईन काउंसिलिंग उल्लिखित है, वहां ऑनलाईन काउंसिलिंग के साथ "राज्य शासन की केन्द्रीयकृत ऑफलाईन काउंसिलिंग" को जोड़ा जाता है.

इसका विस्तृत कार्यक्रम विभागीय वेबसाइट एवं समाचार-पत्रों में पृथक् से प्रकाशित किया जावेगा.

क्र. एफ-1-21-2016-1-उनसठ.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 17 अक्टूबर 2016 में अधिसूचित "मध्यप्रदेश होम्योपैथी चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा नियम-2016" के नियम-21 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए उक्त नियमों में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, अर्थात्:—

(1) नियम-7 में निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाता है:—

"प्रदेश के शासकीय/निजी होम्योपैथी महाविद्यालयों में म. प्र. ऑनलाईन काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश होने के उपरांत शेष रिक्त सीटों पर राज्य शासन द्वारा केन्द्रीयकृत ऑफलाईन काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश किए जा सकेंगे".

(2) उक्त नियमों में जहां ऑनलाईन काउंसिलिंग उल्लिखित है, वहां ऑनलाईन काउंसिलिंग के साथ "राज्य शासन की केन्द्रीयकृत ऑफलाईन काउंसिलिंग" को जोड़ा जाता है.

इसका विस्तृत कार्यक्रम विभागीय वेबसाइट एवं समाचार-पत्रों में पृथक् से प्रकाशित किया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिखा दुबे, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.